नई मार्जिन प्रणाली क्या है ?

सेबी ने शेयर बाजार की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए सितंबर 2020 से नई मार्जिन प्रणाली लागु की है। नई मार्जिन प्रणाली क्या है ? उससे क्या प्रभाव पड़ेगा ? ग्राहक-निवेशक, ट्रेडर्स, ब्रोकर, एक्सचेंज तथा डिपॉजिटरीज को क्या करना होगा उसके संबंध में यहां सरल शब्दों में समझते हैं।

शेयर बाजार में शोर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म सौदा करों या फिर डे ट्रेडिंग करिये, परंतु प्रारंभिक मार्जिन जमा किये बिना सौदा करने का समय पूरा हो गया है। अब तक ब्रोकर उनके ग्राहकों की ओर से ये मार्जिन जमा करके कारोबार करते थे। अब ऐसा संभव नहीं होगा, क्योंकि नियमन संस्था सेबी (सिक्युरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया) ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि अपने सौदे का मार्जिन ग्राहक को अलग से ही भरना होगा। पिछले कई सालों से अधिकांश निवेशक-ट्रेडर्स प्रारंभिक मार्जिन जमा किये बिना सौदा करने के आदि बने हुए थे। उनके लिए अब 1 सितंबर से बिना मार्जिन के सौदा करना बंद हो गया है। सेबी की यह नई प्रणाली बाजार की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। हालांकि इसके अमल के संबंध में कुछ समस्या उत्पन्न हुई है, परंतु इसका भी उपाय मिल जायेगा ऐसी आशा की जा रही है। सेबी, एक्सचेंज तथा ब्रोकरों को इस प्रणाली के लिए ग्राहकों को समझाना होगा तथा जागरूकता लानी होगी।

प्रति दिन सौदा करने में समस्या

सेबी के अनुसार ये प्रणाली सभी के हित में हैं। इससे बाजार की सुरक्षा का स्तर ऊंचा हो जायेगा। शेयर बाजार में सौदे की सुरक्षा हेतु मार्जिन का महत्त्व ऊंचा होता है। स्वयं ब्रोकर भी यह सुनिश्चित करता है कि ग्राहकों से उचित तथा समय-समय पर मार्जिन जमा किया जाए। कई बार ब्रोकर खुद मार्जिन जमा करके ग्राहकों को सौदे की सुविधा प्रदान करता है। बाजार में रोज करोड़ों इंट्रा-डे (खरीद-बिक्री के) सौदे होते हैं। नये नियमानुसार ग्राहक के अपने मार्जिन के बिना इंट्रा-डे सौदा नहीं हो सकेगा, जिसके कारण प्रारंभ में ट्रेडिंग वॉल्युम पर प्रभाव पड़ सकता है। सबसे अधिक प्रभाव डे ट्रेडर्स तथा छोटे निवेशकों पर पड़ सकता है।

कोलेटरल नहीं चलेगा

अब तक ब्रोकर के पास शेयर गिरवी (कोलेटरल) रहते थे, जिसमें से ब्रोकर खुद ही ग्राहकों के मार्जिन भर देते थे। एक्सचेंज को मार्जिन जमा होता है कि नहीं उससे मतलब था। इस प्रकार ग्राहक प्रारंभिक मार्जिन के बोज से मुक्त रहते थे। यह रीत अब नहीं चलेगी। अब प्रत्येक ग्राहक को अलग से अपना मार्जिन भरना होगा। निवेशक अब बिक्री की राशि पर उसी दिन खरीदी भी नहीं कर सकेंगे।

बिक्री सौदे पर भी मार्जिन भरना होगा

BSE - INTERNAL

बिक्री के सौदे पर भी मार्जिन लगाया गया है। ग्राहकों को बिक्री करने पर भी मार्जिन के रूप में शेयर गिरवी रखने होंगे। हालांकि बिक्री के सौदे में यदि ग्राहक उसी दिन ही शेयरों की आपूर्ति करता है तो उसको मार्जिन भरने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा तभी हो सकता है जब ग्राहक का डिमेट एकाउन्ट उसके ब्रोकर के पास हो। यदि ग्राहक का डिमेट एकाउन्ट बैंक या अन्य संस्था में है तो ग्राहक को उसी दिन आपूर्ति करने में समस्या आ सकती है। ऐसी परिस्थिति में उसको मार्जिन के रूप में अपने शेयरों को गिरवी रखने होंगे।

वास्तव में सेबी का उद्देश्य बाजार के जोखिम का नियमन करने का तथा उसकी सुरक्षितता बनाये रखने का है।

डिमेट एकाउन्ट का महत्व

वास्तव में सेबी की नई मार्जिन प्रणाली बाजार की सुरक्षा हेतु है, इससे ब्रोकरों की सुरक्षा में भी वृद्धि होगी। ग्राहक को खरीद या बिक्री के समय पर मार्जिन के रूप में लिक्विड शेयर जमा करने पड़ेंगे। यांनि इन शेयरों को गिरवी रखने होंगे। ऐसा करने से मार्जिन के रूप में राशि जमा करने की जरूरत नहीं है। सौदा पूरा होने के बाद गिरवी रखे गये शेयर मुक्त हो जायेंगे।

कोई भी सौदा करने से पहले एकाउन्ट में पर्याप्त मार्जिन नहीं होगा तो पेनल्टी लग सकती है।

ग्राहक को शेयर गिरवी रखने में CDSL/NSDL से SMS अथवा ई-मेल द्वारा OTP मिलेगा, जिसे ग्राहक को साथ में दी गई CDSL/NSDL की वेबसाईट की लिंक में एंटर करना पड़ेगा।

दैनिक ट्रेड के सामने मार्जिन का लाभ चाहिये तो ट्रेड के दिन ही OTP के माध्यम से गिरवी रखने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। यदि उस दिन गिरवी प्रक्रिया नहीं हुई तो ट्रेड के दिन का मार्जिन शोर्ट जा सकता है। ट्रेड फोर ट्रेड तथा उच्च वोलेटिलिटी वाले शेयर, जिसकी मार्जिन वैल्यु नगण्य है ऐसे शेयर मार्जिन में नहीं दे सकते।

ट्रेडिंग तथा डिमेट एकाउन्ट में सही मोबाईल नंबर तथा ई-मेल आईडी होना आवश्यक है। मोबाईल तथा ई-मेल में परिवर्तन हेतु दो दिन लगते हैं, क्योंकि यह परिवर्तन डिपोजिटरी तथा एक्सचेंज में वेरिफाय किये जाते है। अंतिम समय पर ऐसा परिवर्तन संभव नहीं है। ब्रोकर अपने ऑटो-पे-इन POA के जरिए गिरवी प्रक्रिया शुरु करेगा, किंतु उसे OTP द्वारा वेरिफाय तथा स्वीकार करने की जिम्मेदारी ग्राहक की रहेगी।

BSE - INTERNAL

यदि कोई निवेशक 12 **महिने से किसी भी सेगमेंट में कोई सौदा नहीं करता है तो उस एकाउन्ट को डोर्मन्ट इनएक्टिव मार्क किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में इस एकाउन्ट में संपूर्ण** KYC **प्रक्रिया फिर से किये बिना सौदा करने नहीं दिया जायेगा। इस** RE-KYC **प्रक्रिया में एक या दो दिन लगते है। अतः समय-समय पर एक या दो ट्रेड कर लेने से** KYC **प्रक्रिया नहीं करनी पड़ेगी।**

BSE - INTERNAL